कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0 एल0ए0 एस0एस0 –1/श0स्था0नि0/14468/2172 दिनांकः–13.01.15

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के वर्ष 2013–14 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 529/14–15 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

12/01/15

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

Spl. Sec.
O. S. D. (K)

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पत्र पंजी
15 JAN 2015
संख्या 407

सचिव कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना
पत्र
14 JAN 2015

108

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर
निरीक्षण प्रतिवेदन सं0–529/14–15

कंडिका– 1
प्रस्तावना

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के वर्ष 2013–14 के लेखाओं की नमूना जॉच महालेखाकार, बिहार, पटना स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा के अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 02.06.2014 से 07.06.2014 तक किया गया।

कंडिका– 2

प्रशासन

(i)	**अध्यक्ष**	**अवधि**
	श्रीमती दीपा केसरी	01.04.2013 से 31.03.2014
(ii)	**कार्यपालक पदाधिकारी**	**अवधि**
	श्री परमानन्द साह	01.04.2013 से 05.08.2013 (पूर्व)
	श्री गोपाल प्रसाद	05.08.2013(अप0) से 22.12.2013
	श्री सत्येन्द्र प्रसाद वर्मा	23.12.2013 से 31.03.2014

कंडिका– 3

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– I में एवं वैसे अभिलेख जो या तो संधारित नहीं किये गये या अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये कि सूची परिशिष्ट –II में दी गयी है।

कंडिका 4

कार्यपालक पदाधिकारी से वार्तालाप

लेखापरीक्षा में उठाई गई सभी आपत्तियों पर कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ता समय समय पर तथा अंतिम रुप से दिनांक 07.06.2014 को की गई।

107

भाग– ।। (क)– शून्य

भाग– ।। (ख)

कंडिका– 1 **विलोपित**

कंडिका– 2

प्राक्कलन के अनुसार योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जाना (रु 58,996.00)

योजना का नाम	वार्ड न0 18 में अर्जुन साह के घर से जवाहर ठाकुर के घर तक नाला का निर्माण
योजना संख्या व मद	03/2013–14 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग
प्राक्कलित राशि	रु 1,80,070.00
मापी की राशि	रु 1,79,989.00
वास्तविक व्यय	रु 1,79,989.00
संवेदक का नाम	श्रीमती मनोरमा सिंह

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 183 एवं 182 के अनुसार जब अन्य किसी कारण से मंजूर प्राक्कलन में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो जाने की संभावना हो अथवा जबकि सारभूत विस्तार या विचलन के चलते पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यक हो जाय तब जरुरी है कि एक पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाय। साथ ही यदि यह वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक हो तो सक्षम पदाधिकारी पदानुक्रम में एक स्तर उपर वाला होगा एवं यदि यह 20 प्रतिशत से अधिक हो तो विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

संचिका में संलग्न प्राक्कलन एवं मापी पुस्तिका के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि प्राक्कलन में वर्णित मद सं. 6 एवं 7 का कियान्वयन नहीं किया गया था तथा उसके एवज में अन्य मदों के कियान्वयन प्राक्कलन में प्रावधानित मात्रा से अधिक किया गया था। विस्तृत विवरण इस प्रकार है –

क. सं.	मदों का नाम	मात्रा व दर(प्रा0 के अनुसार)	राशि (रु में)	मापी पुस्तिका के अनुसार कृत कार्य	कृत कार्य का मूल्य	अंतर	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मिटटी कार्य....	33.15 घनमीटर 160.60 प्रति घनमीटर की दर से	5323.00	55.79 घनमीटर 160.60 प्रति घनमीटर की दर से	8959.00	3636.00	68.3
2	बालू भराई...	5.10 घनमीटर 382.05 प्रति घनमीटर की दर से	1948.00	8.585 घनमीटर 382.05 प्रति घनमीटर की दर से	3279.00	1331.00	68.3
3	पी.सी.सी. कार्य	7.35 घनमीटर 5545.60 प्रति घनमीटर की दर से	40760.00	12.369 घनमीटर 5545.60 प्रति घनमीटर की दर से	68593.00	27833.00	68.2
4	ब्रीक वर्क (1:4)...	13.50 घनमीटर 4440.60 प्रति घनमीटर की दर से	59946.00	18.10 घनमीटर 4440.60 प्रति घनमीटर की दर से	80373.00	20427.00	34.00
5	थीक सी. पी(1:4).....	99.00 वर्गमीटर 113.80 प्रति वर्गमीटर की दर से	11266.00	149.70 वर्गमीटर 113.80 प्रति वर्गमीटर की दर से	17035.00	5769.00	51.2

6	आर.सी.सी. (1:2:4)...	5.625 घनमीटर 5241.30 प्रति घनमीटर की दर से	29482.00	शून्य	शून्य	(–)29482.00	–
7	छड़ कटींग...	0.397 घनमीटर 74583.52 प्रति घनमीटर की दर से	29609.00	शून्य	शून्य	(–)29609.00	–
8	साइनबोर्ड	एक	1750.00	एक	1750.00	–	–

इसके लिए कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन नहीं बनाया गया था तथा इसके फलस्वरुप संवेदक को कुल रु 58,996.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

पुनः, प्राक्कलन में वर्णित कार्य नहीं किये जाने के कारण कार्य की गुणवत्ता के निम्नस्तरीय होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि जॉचोपरांत आवश्यक कारवाई की जाएगी।

जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः, अधिक भुगतान की गई राशि रु 58,996.00 वसूलनीय है।

कंडिका– 3

अधिक भुगतान (रु 32,497.00)

योजना का नाम – हेतन साह के घर से दसगर्दा भवन होते हुए गड़खैइया नाला तक नाली निर्माण (13वें वित्त आयोग)

योजना सं. – 01/2013–14

प्राक्कलित राशि – 480300

मापी की राशि – 479927

वास्तविक व्यय – 479927

संवेदक का नाम – पंकज कुमार मिश्र

उपरोक्त योजना संचिका एवं मापीपुस्त के अवलोकन में पाया गया कि प्राक्कलन में वर्णित मद की मात्रा के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया था, विवरणी निम्न प्रकार है–

	प्राक्कलन में वर्णित मद एवं मात्रा	**मापीपुस्त में दर्ज मात्रा**	**अंतर**	**राशि**
Item – 3	Providing PCC M-15 (1:2:4) in foundation 18.70M^3@ 5545.60M^3 = 103703	24.56 M^3	5.80 M^3	32497.21
Item – 6	RCC M-15 (1:2:4) 8.25M3@ 5241.30M3 = 43241	5M^3	(-) 3.25	17055.00
Item – 7	Reinforcement 0.583MT@ 74583.52/ MT = 43482	.38752	(-) .204	15247.00

बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 183 एवं 182 के अनुसार जब अन्य किसी कारण से मंजुर प्राक्कलन में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की संभावना हो अथवा सार भूत विस्तार/ विचलन के चलते पुनरीक्षित प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता हो तब जरूरी है कि एक पुनरीक्षित प्राक्कलन पेश किया जाय।

परन्तु नगर पंचायत द्वारा कोई पुनरीक्षित प्राक्कलन पेश नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप प्राक्कलन में वर्णित आयटम नं0 3 से रु 32,497.00 का अधिक कार्य कराया गया जो 10 प्रतिशत से अधिक है जो वसूलनीय है।

जबाव में बताया गया कि जांचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

जवाब संतोषजनक नहीं है। अतः, अधिक भुगतान की गई राशि रु 32497 वसूलनीय है।

कंडिका–4

मकान किराया कर की राशि कम जमा

एच. रसीद, दैनिक संग्रह पंजी एवं राजस्व प्राप्ति पंजी के जांच के क्रम में पाया गया कि एच. रसीद से प्राप्त राशि से कम राशि जमा किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	Month	H.R. No.	वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	संग्रहकर्त्ता
1.	July- 13	1846 to 1866	7079	0	देवेन्द्र कुमार यादव
2.	August-13	1867 to 1869	3853	8000	देवेन्द्र कुमार यादव
3.	September-13	1890 to 2016	6109	4000	देवेन्द्र कुमार यादव
4.	October-13	2017 to 2026	3961	3960	देवेन्द्र कुमार यादव
5.	November-13	2027 to 2047	3619	0	देवेन्द्र कुमार यादव
6.	December-13	2048 to 2073	4137	12800	देवेन्द्र कुमार यादव
7.	January-14	2074 to 2097	10888	0	देवेन्द्र कुमार यादव
8.	February-14	2098-2100/ 2301-2326	10205	0	देवेन्द्र कुमार यादव
9.	March-14	2327 to 2360	21875	10000	देवेन्द्र कुमार यादव
			71726	38760	

जबाब में बताया गया कि जमा नहीं की गई राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतः, कम जमा की गई राशि Rs. 32,966/- (71726 – 38760) की वसूली की जाय तथा उसे नगर पंचायत निधि में जमा कराया जाय एवं साक्ष्य अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका–5

दुकान किराया एवं खतरनाक एवं भयावह व्यवसाय कर की राशि जमा नहीं

H.R./M.R. को D.C.R. से मिलान के क्रम में पाया गया कि मकान/दुकान किराया कर की राशि को नगर पंचायत निधि में जमा नहीं कराई थी। विवरणी निम्नवत है–

क्र0	मद		वसूली गई राशि	जमा की गई राशि	शेष राशि	संग्रहकर्त्ता
1	दुकान किराया	901	200.00	-	200.00	संजीव कुमार

2	दुकान किराया	902	200.00	-	200.00	संजीव कुमार
3	ऑपफेन्सिव एवं डेन्जरस ट्रेड	01 to 33 (02/11/13 to 29/03/14	3300.00	-	3300.00	देवेन्द्र कमार यादव

जबाव में बताया गया कि श्री संजीव कुमार झा तहसीलदार के द्वारा 400 (चार सौ) रूपये मात्र भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता सं– 32703752558 में जमा कर दिया गया हैं शेष राशि रु 3300 की वसूली हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतः, देवेन्द्र कुमार यादव से Rs. 3300.00 की राशि की वसूली की जाय तथा नगर पंचायत निधि में जमा करवाया जाय एवं जमा का साक्ष्य लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

कंडिका–6

बकाया दुकान किराया, Rs. 1.80 लाख

नगर पंचायत द्वारा दुकान किराया संबंधित पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः बकाया दुकान किराया की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। फिर भी नगर पंचायत हवेली खड़गपुर द्वारा लेखापरीक्षा में प्रस्तुत बकाया दुकान किराया विवरणी के अनुसार दिनांक 31/03/2014 तक कुल Rs. 1,80,350/- दुकानदारों पर दुकान किराया बकाया थी।

जबाव में बताया गया कि दुकानदारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दुकान किराया में कमी करने हेतु सी.डब्लू.जे.सी. वाद दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अतः, उपर्युक्त बकाया दुकान किराया को वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय

कंडिका–7

बकाया मकान कर, Rs. 8.06 लाख

नगर पंचायत द्वारा मकान कर से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। अतः बकाया मकान कर की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। फिर भी, लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विवरणी के अनुसार नगर पंचायत स्थित मकानों के गृह स्वामियों पर दिनांक 31/03/2014 तक कुल Rs. 8,06,216/- बकाया मकान कर हैं।

अतः उपर्युक्त बकाया मकान कर को वसूल कर नगर पंचायत निधि में जमा किया जाय तथा उसे अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाय।

जबाव में बताया गया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

कंडिका–8

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर व्यय Rs. 7,98,625.00

बिहार सरकार के पत्रांक 4 न. से 1-103/87-1231/न.वि.वि. दिनांक 06/05/1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को दैनिक मजदूरी/कर्मचारी को कार्य पर लगाने से प्रतिबंधित किया गया था तथा इस पत्रांक के द्वारा साफ सफाई कार्य बाह्य श्रोतों से कराई जानी चाहिये।

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर वर्ष 2013–14 के रोकड़ पंजी/वेतन भुगतान पंजी के नमूना जांच में पाया गया कि कुल Rs.798625.00 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के पारिश्रमिक हेतु भुगतान की गयी थी। विवरणी निम्न प्रकार है–

माह	भुगतान राशि	चेक नं0
March, 13 April, 13	57528 58318	005508/06.06.13 BOI, Khargpur
May, 13 June, 13	59650 54246	005511/31.07.13 BOI, Khargpur
July, 13 August, 13	60464 60940	005512/08.10.13 BOI, Khargpur
September, 13 October, 13	63700 56633	005515/07.11.13 BOI, Khargpur
November, 13 December, 13	81603 84200	005519/25.02.14 BOI, Khargpur
January, 14 February, 14	85663 75680	005520/14.03.14 BOI, Khargpur
	798625.00	

परन्तु, इसके लिए सरकार से कोई अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। अतः, दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर किया गया व्यय अनियमित है ।

जबाव में बताया गया कि सरकार से अनुमोदन हेतु प्रयास किया जा रहा है साथ ही भविष्य में सरकार के निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अतः, इस संबंध में सरकार से घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त किया जाय। दैनिक वेतनभोगी कर्मियों पर किये गये व्यय की घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त होने तक रु 7,98,625 को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका–9

अभिश्रव पारित नहीं

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के लेखा वर्ष 2013-14 के संबंधित भाउचर संचिका के नमूना जांच में पाया गया कि Rs. 37,459/- का भुगतान विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया गया था, जिसका विवरणी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– III में दिया गया है। परन्तु उपरोक्त अभिश्रव कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पारित नहीं किया गया था। बिना अभिश्रव पारित किये भुगतान किया जाना अनियमित था।

अतः अभिश्रवों को पारित किये जाने तक कुल भुगतान रु 37,459/– को लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

पुनः, श्री अरविन्द कुमार, कनीय अभियन्ता को एकहरी तला से नगर Rs. 25,000/- अग्रिम प्रदान की गई थी, जिसका उपयोग दुर्गापुजा में सफाई कार्य में होना था। परन्तु करीब 8 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया था।

जबाव में बताया गया कि अभिश्रव के समायोजन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

अतः, इस अग्रिम का समायोजन/ वसूली कर अगले लेखापरीक्षा को दिखाया जाए।

102

कंडिका–10

पी. एफ. की राशि की कटौती नहीं एवं कटौती राशि कर्मी का P.F. A/c में जमा नहीं

वेतन विवरणी पंजी के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि माह मार्च 2013 से जून 2013 तक कर्मियों के वेतन से कुल Rs. 8256/- की कटौती भविष्य निधि मद के लिए की गई थी परन्तु उसे कर्मियों के P.F. A/c में भेजा नहीं गया था। विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– IV में दिया गया है।

कटौती की गई राशि को Rs. 8256/- को कैशबुक से भी घटाया जा चुका है परन्तु कर्मी के खाता में नहीं भेजा गया था।

जबाव में बताया गया कि अद्यतन रूप से कटौती की गई राशि को संबंधित कर्मियों के खाते में जमा करने हेतु कार्रवाई की जा रही हैं। राशि जमा कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिये जायेंगे।

अतः कटौती की गई राशि को संबंधित कर्मियों के खाते में जमा किया जाय।

TAN

लेखापरीक्षा टिप्पणी

कंडिका– 1

वित्तीय अधिदृश्य

वित्तीय अधिदृश्य वर्ष 2013–14

1.	प्रारंभिक शेष 01.04.2013 को	3,85,98,241.87
2.	वर्ष 2013–14 में प्राप्त अनुदान	4,66,36,603.00
3.	अन्य प्राप्यिों	50,96,603.00
4.	कुल प्राप्ति	5,17,33,206.00
5.	कुल (2+4)	9,03,31,447.87
6.	व्यय	1,50,98,934.00
7.	अंतिम शेष 31.03.2014 को	7,52,32,513.87

बैंक शेष

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	राशि
1.	बिहार क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक	14424	3803.00
2.	पी.एन.बी. हवेली खड़गपुर	737000100209889	801587.00
3.	एस0 बी. आई0 खड़गपुर	32703752558	453544.00
4.	बैंक ऑफ इंडिया	464610100006196	195489.00
5.	पी. एन. बी.	0737000103160196	4892891.00
6.	पी. एन. बी.	0737000103146141	8694802.00
7.	पी. एन. बी.	2886	176976.10
		कुल	15219092.00

अंकेक्षण टिप्पणी

i) कोषागार (पी.एल.) खाता प्रस्तुत नहीं किया गया था।

101

ii) वर्ष के अन्त में बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया गया था।

iii) रोकड़पंजी दिनांक 06.08.2013 से 30.12.2013 तक कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं किया गया था।

iv) रोकड़ बही में आय एवं व्यय का शीर्ष दर्ज नहीं किया गया था।

v) वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया था।

vi) पी.एन.बी. खाता सं. 2886 को अद्यतन कर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जबाव में बताया गया कि—

1. पी.एल. खाता अद्यतन करने हेतु कोषागार को उपलब्ध कराया गया है उपलब्ध होते ही प्रस्तुत किया जायेगा।

2. रोकड़ पंजी में कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर उसके स्थानांतरण के पश्चात बाकी है, उसे शीघ्र ही करा लिये जायेगे।

3. वार्षिक लेखा का संधारण किया जायेगा। आगे के लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे एवं अन्य त्रुटियों का भी निराकरण कर लिया जायेगा।

अतः, उपरोक्त त्रुटियों को यथाशीघ्र दूर किया जाय तथा अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाय।

कंडिका— 2

सरकारी अनुदान

नगर पंचायत द्वारा अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके फलस्वरुप प्राप्त अनुदानों की राशि, उनमें से किया गया व्यय तथा दिनांक 30.03.2014 को कुल अवशेष अनुदानों की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी।

फिर भी रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर वर्ष 2013—14 में विभिन्न मदों में कुल रु 4,66,36,603.00 अनुदान प्राप्त हुआ था जिसका विवरण निम्नवत है —

क्र.सं.	पत्रांक व दिनांक	बिल सं./चेक सं.	राशि (रु में)	उद्देश्य
1	2	3	4	5
1	134/15.03.14	08/13—14	4754985.00	चतुर्थ वित्त आयोग
2	134/15.03.14	09/13—14	2014324.00	चतुर्थ वित्त आयोग
3	134/15.03.14	10/13—14	1073830.00	चतुर्थ वित्त आयोग
4	134/15.03.14	11/13—14	2000000.00	चतुर्थ वित्त आयोग
5	565/30.09.13	551056/24.09.13	12180.00	बी.आर.जी.एफ.
6	566/30.09.13	551318/15.10.13	839039.00	बी.आर.जी.एफ.
7	567/30.09.13	551175/01.10.13	88918.00	बी.आर.जी.एफ.
8	764/02.05.13	आर.टी.जी.एस.	1476898.00	13वी. वित्त आयोग
9	765/02.04.13	आर.टी.जी.एस.	287000.00	13वी. वित्त आयोग
10	27/19.07.13	आर.टी.जी.एस.	1660655.00	13वी. वित्त आयोग
11	42/26.09.13	03/13—14	517774.00	पेशाकर

12	50/13.11.13	04/13–14	7547000.00	भवन निर्माण हेतु
13	89/06.02.14	05/13–14	4733000.00	भवन निर्माण हेतु
14	118/04.03.14	06/13–14	10000000.00	पेय जलापूर्ति
15	118/04.03.14	07/13–14	8600000.00	पेय जलापूर्ति
16	210/01.03.13	065493/28.02.13	20000.00	राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना
17	10/30.03.13	001621/–	245100.00	जनगणना
18	07/30.04.13	01/13–14	74400.00	पार्षद भत्ता
19	17/17.05.13	02/13–14	240000.00	नगर प्रबंधक का वेतन
20	576/20.09.13	004774/30.09.13	297000.00	कबीर अंत्येष्टि
21	576/20.09.13	004749/30.09.13	154500.00	कबीर अंत्येष्टि
कुल			46636603.00	

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि अनुदान पंजी का संधारण कर आगामी लेखा परीक्षा को दिखा दिया जायेगा।

अनुदान पंजी का संधारण किया जाय तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ अनुदान पंजी को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

कंडिका– 3

यथार्थ से परे एवं घाटे का बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 के अनुसार कार्यपालक पदाधिकारी आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा एवं धारा 84 के अनुसार नगरपालिका बजट प्राक्कलन एवं सशक्त स्थायी समिति को यदि कोई अनुशंसा हो तो उस पर विचार करेगी एवं 15 मार्च तक नगरपालिका ऐसे परिवर्तन के साथ अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे। अंगीकृत बजट नगर निगम के मामलों में राज्य सरकार को भेजा जाएगा एवं राज्य सरकार 31 मार्च परिवर्तन/बिना परिवर्तन के साथ नगरपालिका को वापस लौटा सकेगी।

नगर पंचायत द्वारा तैयार बजट के अवलोकन के पश्चात यह पाया गया कि वर्ष 2013–14 का बजट यथार्थ से काफी परे था। विवरण निम्नवत है –

वर्ष	शीर्ष	बजट	वास्तविक	अंतर	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
2013–14	आय	125680360	51733206	73947154	142
	व्यय	150464400	150989934	135365466	896

बजट प्राक्कलन तथा वास्तविक आय– व्यय में काफी अंतर था तथा लेखापरीक्षा में बजट तैयार करने का आधार यथा मासिक लेखा/त्रैमासिक लेखा/वार्षिक लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया था। मौखिक रुप से बताया गया कि नगर पंचायत द्वारा इन लेखाओं का संधारण नहीं किया जा रहा है।

नगर पंचायत द्वारा बजट दिनांक 27.02.2014 को पारित किया गया था। नगर पंचायत द्वारा बजट ससमय तैयार नहीं किया गया था तथा समय पर पारित नहीं होने का कारण लेखापरीक्षा में नहीं

(११)

बताया गया। तैयार व अंगीकृत बजट सरकार को नहीं भेजा गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि बजट औचित्य तथा यथार्थ से परे था।

नगर पंचायत द्वारा जवाब दिया गया कि वर्ष 2014–15 से बजट तैयार करने का कार्य नगरपालिका अधिनियम एवं सरकार के निर्देशों के अनुरुप प्रारम्भ कर दिया गया है तथा शेष सुधार का ख्याल भविष्य में रखे जायेगें।

कंडिका– 4

(क) संपदा पंजी का संधारण नहीं

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के लेखाओं का नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर द्वारा संपदा पंजी का संधारण नहीं किया गया था। फलस्वरूप नगर पंचायत के अधीन संपत्तियों का वास्तविक स्थिति पता नहीं किया जा सका। संपदा पंजी के संधारण नहीं होने से नगर पंचायत के संपत्ति पर अनाधिकृत कब्जा की संभावना बढ़ जाती है।

(ख) मांग एवं संग्रह पंजी

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के लेखाओं के नमूना जांच के क्रम में पाया गया कि मांग एवं संग्रह पंजी का संधारण नहीं किया गया था, जिसके फलस्वरूप वास्तविक मांग एवं संग्रह से संबंधित स्थिति का पता नहीं चल सका।

अतः, उक्त दोनों पंजियों का विधिवत संधारण कर लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय। जवाब में बताया गया कि भविष्य में इसका संधारण किया जायेगा।

कंडिका– 5

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन

नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर के द्वारा अनेक बार अनुरोध किये जाने के बावजूद पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी लंबित कंड़िकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था जिसके कारण पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी लंबित कंड़िकाओं का निष्पादन नहीं किया जा सका। पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लंबित कंड़िकाओं का अनुपालन नहीं किये जाने से लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति विफल हो जाती है।

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का कंडिकावार अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर अगले लेखा परीक्षा को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

अतः, नगर कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस प्रतिवेदन सहित सभी लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर यथाशीघ्र इस कार्यालय को भेज दिया जाय ताकि पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सभी लंबित कंड़िकाओं का निष्पादन किया जा सके।

कंडिका– 6

लेखापरीक्षा का परिणाम

1.	लेखापरीक्षा के दौरान जमा की गई राशि	शून्य
2.	लेखापरीक्षा द्वारा वसूली हेतु सुझाई गई राशि	1114325.00
3.	लेखापरीक्षा के आपत्ति के अधीन रखी गई राशि	836084.00

(विस्तृत विवरणी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट– V में संदर्भित)

कंडिका– 7

सामान्य अभियुक्ति

नगर पंचायत के लेखाओं एवं अभिलेखों के संधारण संतोषप्रद नहीं था। कुछ मूल दस्तावेज जैसे वार्षिक लेखा, माँग पंजी एवं वसूली पंजी, ऋण/ऋण विनियोग पंजी, इत्यादि संधारित नहीं थी। योजनाओं में प्राक्कलन/स्वीकृत निविदा से अधिक की मापी दिखाकर अनियमित भुगतान किया गया था। अन्य त्रुटियों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्णित कंडिकाओं में दर्शाया गया है।

अतः, कार्यपालक पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि इन पर उचित कार्रवाई की जाय ताकि भविष्य में त्रुटियों को दूर किया जा सके।

–हस्ता0–
(अमरनाथ कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
–––सह––––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

197

सं0—एल0ए0 / एस0एस0—1 / श0स्था0नि0 **दिनांक**

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतू प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गये सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जबावदेही का दावा नहीं करता है।

— ह0 —
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सोशल सेक्टर —1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0—एल0ए0 / एस.एस.—1 / श0स्था0नि0 / 14468 / 2172 **दिनांक** 13.01.15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुंगेर

12/01/15
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र —1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कंडिका सं० परिशिष्ट I से संबंधित
लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों की विवरणी -

1) एकाउन्टेंट / सामान्य रोकड़ बही
2) सब्सिडियरी / सहायक " "
3) बैंक पास बुक
4) एच० आर०
5) एम० आर०
6) एच० व एम० आर० भण्डार पंजी
7) भयावह एवं खतरनाक व्यापार रसीद.
8) बजट प्राक्कलन ।
9) योजना पंजी व अभिलेख ।
10) डी० सी० आर० ।
11) जमा पंजी ।
12) पारित अभिश्रव ।
13) दैनिक संग्रह पंजी
14) मांग पंजी (MR, HR)
15) बजट
16) अभिश्रव
17) क्रय संचिका
18) बैंक पंजी

AAO

परिशिष्ट - II

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत/असंधारित अभिलेखों की सूची :-
कंडिका सं०-3 से संबंधित

1.) कोषागार पासबुक।
2) स्टुट पंजी व अभिलेख।
3) लेखा पुस्तिका एवं निजी संचिका।
4) पूर्व कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन।
5) टिन - टिकट पंजी व अभिलेख.
6) कर निर्धारण पंजी।
7) अनुदान पंजी व वार्षिक लेखा
(8) गाड़ी का लॉग बुक
(9) अग्रीम पंजी
(10) मांग एवं वसूली पंजी
(11) वाद पंजी
(12) संपत्ति पंजी
(13) बैंक समाधान विवरणी
(14) स्वीकृत बल कार्यरत बल
(15) अन्य सभी अभिलेख जो परिशिष्ट-I में नहीं दर्शाया गया है।

AAO

परिशिष्ट - III

~~कंडिका सं०~~ - 6 से संबंधित

	Memo No.	Date	Amount ~~Particulars~~	Particulars
1.	सादा कागज	10/10/2013	25,000.00	अग्रिम
2.	425	20/12/2013	950.00	राज मिष्ठान भंडार
3.	सादा कागज	11/12/2013	125.00	भारतीय डाक
4.	461	10/10/2013	150.00	प्रदीप इन्टरप्राईजेज
5.	सादा कागज	30/10/2013	22.00	भारतीय डाक
6.	"	19/10/2013	22.00	"
7.	"	24/10/2013	66.00	"
8.	"	27/8/2013	476.00	बिहार फोटो स्टेट
9.	"	13/10/2013	20.00	fax.
10.	761	15/8/2013	1900.00	राज मिष्ठान भंडार
11.	सादा कागज	14/8/2013	1100.00	गुप्ता पेन्टर
12.	"	13/8/2013	180.00	भैरायटी स्टोर
13.	"	13/8/2013	250.00	"
14.	"	13/8/2013	160.00	गोपाल हार्डवेयर
15.	"	12/8/2013	250.00	स्वतंत्रता दिवस
16.	623	16/8/2013	225.00	राज लक्ष्मी वस्त्रालय
17.	सादा कागज	17/10/2013	197.00	अमन मोबाईल सेन्टर
18.	"	06/08/2013	197.00	"
19.	"	11/09/2013	197.00	"
20.	"	21/10/2013	132.00	भारतीय डाक
21.	"	31/10/2013	44.00	"
22.	"	18/11/2013	44.00	"
23.	"	11/11/2013	59.00	"
24.	"	11/11/2013	76.00	"
25.	"	30/11/2013	1422.00	नास्ता पैकेट
26.	"	25/11/2013	1160.00	फोटो स्टेट
27.	"	14/8/2013	300.00	गोपाल हार्डवेयर
28.	"	26/10/2013	200.00	"
29.	"	10/09/2013	150.00	गुप्ता पेन्टर
30.	"	20/12/2013	197.00	अमन मोबाईल सेन्टर
31.	478	27/11/2013	350.00	शाम्भवी सेन्टर
32.	सादा कागज	22/11/2013	100.00	मोती इलेक्ट्रिक
33.	"	16/11/2013	198.00	अमन मोबाईल सेन्टर
34.	"	29/10/2013	1540.00	भारती पुस्तक भंडार

अग्रिम के समायोजन हेतु कार्रवाई की 37,459.00 जा रही है।

[signature] 7/6/14

[illegible] पदाधिकारी
जिला [illegible]
[illegible]

Manish Kumar
06/06/14

परिशिष्ट - IV
कंडिका सं० - 7 से संबंधित ।

P.F DEDUCTED BUT NOT DOPOSITED IN STATE P.F AC

Sl. No	Month	Gross Amount of salary	P.F Dedction	C.F	Net Payment	Deducted Amon from cash Boo
1	MARCH (2013)	68980	2064	2064	66916	71044
2	APRIL (2013)	68243	2064	2064	66179	70307
3	MAY (2013)	68963	2064	2064	66899	71027
4	JUNE (2013)	69305	2064	2064	67241	71369
		275491	8256	8256	267235	283747

4/6/14

Executive Office
Nagar Panchayat
Haveli Kharagpur

93

परिशिष्ट– V

लेखापरीक्षा परिणाम

कंडिका– 6 से संदर्भित

क0सं0	कंडिका सं0 भाग– II ख	लेखापरीक्षा के दौरान जमा करायी गयी राशि	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	अंकेक्षण आपत्ति के अंतर्गत रखी गई राशि
1	2	–	58996.00	–
2	3	–	32497.00	–
3	4	–	32966.00	–
4	5	–	3300.00	–
5	6	–	180350.00	–
6	7	–	806216.00	–
7	8	–	–	798625.00
8	9	–	–	37459.00
	कुल		1114325.00	836084.00